संख्या-699/2026/2157/22-2-2025-17(1314)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डू उर्फ जितेन्द्र पुत्र श्री तेजपाल सिंह, निवासी जनपद-जे0पी0नगर(अमरोहा) की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-39075/प्रो0(6)/257/(गांधी जयन्ती-25), दिनांक 13.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डू उर्फ जितेन्द्र पुत्र श्री तेजपाल सिंह, जो ग्राम-शंकरपुर की मढ़ैया, थाना-रजबपुर, जनपद-जे0पी0नगर(अमरोहा) का निवासी है। दिनांक 07.06.2009 को मृतका कु० पिन्की (आयु 20 वर्ष) के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना चाहता था, उसके इन्कार करने के कारण अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कु० पिन्की के गले में फन्दा लगाकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-353/2009 में भा०द०वि० की धारा- 302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, ज्योतिबाफुले नगर के आदेश दिनांक 20.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.08.2018 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 25 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 01 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी के ऊपर गम्भीर अन्य वाद लम्बित होने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति अत्यन्त गम्भीर है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बंदी की आयु 42 वर्ष होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता व जघन्यता एवं गम्भीर अन्य वाद लम्बित होने के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक-28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गुड्डू उर्फ जितेन्द्र पुत्र श्री तेजपाल सिंह की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डू उर्फ जितेन्द्र (बंदी संख्या-709/13) पुत्र श्री तेजपाल सिंह, निवासी जनपद-जे0पी0नगर(अमरोहा) की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत स्थायी नीति के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-699/2026/2157(1)/22-2-2025 तद्दिनांक..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जे०पी० नगर(अमरोहा)।

2- पुलिस अधीक्षक, जे०पी० नगर(अमरोहा)।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक,जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।